

**9****पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई व्यापारिक कार्यवाही**

विचाराधीन वर्ष 08-09 में निम्नलिखित उद्योगों/संस्थानों के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दायर किये गये :-

क्र.	उद्योग/संस्थान का नाम	प्रकरण दायर करने का दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
1.	मेसर्स विनोद कुमार जैन ग्राम कोडामुकुर माइन्स तह. सिहोरा, जबलपुर	अगस्त 08	वायु अधिनियम की धारा 21, 37, 39 एवं जल अधिनियम की धारा 25, 44, 45-ए के अन्तर्गत	जिन वर्षों में खदान बगैर जल एवं वायु सम्मति के संचालित रही है के कारण।
2.	मेसर्स सुपर सर्विस स्टेशन 189 ट्रांसपोर्ट नगर इन्दीर	20444 / 08 19 / 8 / 08	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 33-क एवं धारा 44 व 41 के तहत	संस्थान के पास दूषित जल उपचार व्यवस्था का नहीं होना।
3.	मेसर्स शांति सर्विस स्टेशन 1620 / 2 / 07 मैकेनिक सर्विस स्टेशन नगर इन्दीर	20445 / 08 19 / 8 / 08	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 33-क एवं धारा 44 व 41 के तहत	संस्थान के पास दूषित जल उपचार व्यवस्था का नहीं होना।
4.	मेसर्स एम.पी.वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स (रामकी इन्वायरो इन्जीनियर्स) पीथमपुर जिला-धार	3249 / 08 22 / 10 / 08	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के तहत	खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2003 के अन्तर्गत जारी अधिकार शर्तों के उल्लंघन के कारण।
5.	मेसर्स एम.पी.वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स (रामकी इन्वायरो इन्जीनियर्स) पीथमपुर जिला-धार	3250 / 08 22 / 10 / 08	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 41 एवं 42	जल सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण।
6.	मेसर्स मैहर सीमेंट भदनपुर लाइम स्टोन माइंस माइनिंग प्रोजेक्ट (296.966 हे.) ग्राम भरवाहा एवं भदनपुर नार्थ पट्टी तहसील मैहर में, मैहर सीमेंट लि. सरला नगर, मैहर	24 / 11 / 08	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-15 / 16	बिना पर्यावरण स्वीकृति के उत्पादन क्षमता में वृद्धि



7	मेसर्स मैहर सीमेंट भदनपुर लाइम स्टोन माइंस माइनिंग प्रोजेक्ट (217.68 हे.) ग्राम भदनपुर नार्थ पट्टी साउथ पट्टी उरशीर तहसील मैहर में, मैहर सीमेंट लि. सरला नगर, मैहर	24/11/08	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-15/16	बिना पर्यावरण स्वीकृति के उत्पादन क्षमता में वृद्धि
8	मेसर्स मैहर सीमेंट भदनपुर लाइम स्टोन माइंस माइनिंग प्रोजेक्ट (683 हे.) ग्राम भदनपुर नार्थ पट्टी साउथ पट्टी उरशीर विपश्चट एवं श्रीनगर तहसील मैहर में, मैहर सीमेंट लि. सरला नगर, मैहर	24/11/08	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-15/16	बिना पर्यावरण स्वीकृति के उत्पादन क्षमता में वृद्धि
9	मेसर्स चड्डहा बैटरीज नियर आनन्द टाकीज जबलपुर	28/2/09	वायु अधिनियम की धारा 21, 37 के अन्तर्गत	बगैर जल एवं वायु सम्मति के संचालित होने के कारण

